



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54376

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7993 वर्ष 2026

सिद्धार्थ गुप्ता

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: दधि बल यादव, राधा कृष्ण यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए., कौशल किशोर मिश्रा

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दाधी बाल यादव, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशल किशोर मिश्रा, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 50/2024, धारा 408, 420, 467, 468, 471, 120बी, पुलिस स्टेशन फीलखाना, जिला कानपुर नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर में शुभांगी मिश्रा के खिलाफ विशिष्ट आरोप है, जो प्रथम शिकायतकर्ता की कंपनी में परचेज़ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत थीं, और उन्होंने गलती से आवेदक के खाते में 41 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए थे। जब आवेदक को इस जालसाजी के बारे में पता चला, तो उन्होंने 12.01.2024 को 27,44,831 रुपये और 17.01.2024 और 10.04.2024 को दो चेक द्वारा क्रमशः 4,00,000 रुपये और 2,47,000 रुपये स्थानांतरित किए। इसलिए, आवेदक पहले ही प्रथम शिकायतकर्ता की कंपनी के खाते में 33,91,831 रुपये स्थानांतरित कर चुका है। अतः, आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे ही आवेदक को इस जालसाजी का पता चला, उसने प्रथम सूचनादाता की कंपनी के खाते में बड़ी रकम स्थानांतरित कर दी। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक अपने वचन के अनुसार, रिहाई के 15 दिनों के भीतर प्रथम शिकायतकर्ता की कंपनी के खाते में 6,90,617 रुपये हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 10.02.2026 से जेल में है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक की सिफारिश पर, सह-आरोपी सुश्री शिवंगी मिश्रा को प्रथम शिकायतकर्ता के साथ रखा गया था, इसलिए उपरोक्त षड्यंत्र में आवेदक शामिल है, लेकिन वे प्रथम शिकायतकर्ता के खाते में बड़ी राशि के पुनर्हस्तांतरण के लिए उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्नगत धन आवेदक के खाते में गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया था और आवेदक द्वारा इसे प्रथम शिकायतकर्ता की कंपनी के खाते में पुनः स्थानांतरित कर दिया गया था, और जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले **(2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सिद्धार्थ गुप्ता** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को समान राशि में प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा और बिना किसी स्थगन की मांग किए।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
- v. आवेदक अपने वचन के अनुसार अपनी रिहाई के 15 दिनों के भीतर प्रथम शिकायतकर्ता की कंपनी के खाते में 6,90,617/- रुपये हस्तांतरित करेगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने से पहले की जाएगी।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगी ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के **नीतिगत रणनीति संबंधी मामले में जमानत देने के संबंध में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो। यह आदेश स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



31.01.2023 को दिए गए निर्णय और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित मामले के अनुसार भेजा जाना चाहिए।

17 मार्च, 2026

सीएस/-

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”